भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 206

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

निजी विद्यालयों में फीस

***206. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः**

श्रीमती लॉकेटे चटर्जीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि निजी विद्यालय माता-पिता को पूर्व सूचना दिये बिना ही फीस में वृद्धि कर देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विद्यालय फीस में इस प्रकार की मनमानी वृद्धि पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी विद्यालयों द्वारा फीस लिये जाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं/कोई नियम बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्यालयों द्वारा फीस लिये जाने/बढ़ाये जाने हेतु विनिर्धारित मानदंड क्या हैं तथा वे मदें कौन-सी हैं जिनके अंतर्गत ऐसी फीस ली जा सकती है; और

(घ) निजी विद्यालयों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को सूचित किये गये मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'निजी विद्यालयों में फीस' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्रीमती लॉकेटे चटर्जी द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 206 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास भी फीस वृद्धि और अन्य प्रभारों के संबंध में इससे संबद्ध स्वतंत्र गैर सहायताप्राप्त स्कूलों के विरूद्ध छुट-पुट शिकायतें आती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अत: स्कूलों में फीस और उसके घटकों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित होते हैं। यह संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह ऐसे स्कूलों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करे जो इस मामले में राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों का उल्लघंन करते हैं।

जहां तक सीबीएसई का संबंध है, जब कभी इससे संबंद्ध निजी स्कूलों के विरूद्ध फीस की वसूली/उसकी बढ़ोतरी से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, बोर्ड मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल संबंधित संबद्ध स्कूल से रिपोर्ट मांगता है और संबंद्धन उप-नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गंभीर उल्लंघन के मामले में बोर्ड ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे दोषी स्कूल का संबंद्धन भी समाप्त किया जा सकता है।

(ग): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबंद्धन उप-नियम, 2018 के अध्याय-7 में स्कूल फीस से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए है:

- कोई भी सोसायटी/न्यास/कम्पनी/स्कूल छात्रों के प्रवेश के प्रयोजन से कैपिटेशन फीस की वसूली या डोनेशन (अनुदान) स्वीकार नहीं करेगा।
- प्रवेश फीस और अन्य शीर्ष के तहत वसूली की गई फीस को केवल समुचित सरकार के विनियमों के अनुसार ही वसूल किया जाएगा।
- फीस को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्धारित शीर्षों के तहत वसूल किया जाएगा।
- स्कूलों की फीस में संशोधन समुचित सरकार के नियम, विनियम और निदेशों के अध्यधीन होगा।
- किसी भी परिस्थिति में फीस में स्कूल प्रबंधन समिति के अनुमोदन या समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित प्रक्रिया के बिना संशोधन न किया जाए।

संबंद्धन उप-नियम, 2018 के नियम 7.6 के अनुसार, राज्य में स्थित स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के फीस विनियम के संबंध में लागू/तैयार किए गए केंद्र और राज्य/राज्यक्षेत्र सरकार के अधिनियम और विनियम सीबीएसई से संबद्ध स्कूल पर भी लागू होते हैं।

(घ): दिनांक 01.01.2017 से अब तक की अवधि के दौरान 27 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

*****